न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्याः— 31 / 2022

1. बाबूलाल आयु 48 वर्ष पुत्र हनुमानाराम
2. विक्रम कुमार आयु 38 वर्ष पुत्र हनुमानाराम
3. राकेश आयु 23 वर्ष पुत्र दलीप सिंह

समस्त जातियान मेघवाल, निवासीगण तोखा का बास, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

— — —

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 789 दिनांक 06.01.2022 जो तहसीलदार सूरजगढ द्वारा पारित किया गया।

— — —

उपस्थितः—

1. श्री हजारी लाल सूनिया, अभिभाषक — अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक — रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 03.08.2022

उक्त विषयक अपील मय प्रार्थना पत्र स्थगन, प्रा0प0 अ0धा0 96 जा0दी0 एवं प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के विद्वान तहसीलदार सूरजगढ के नामान्तरकरण संख्या 789 दिनांक 06.01.2022 भूमि ग्राम तोखा का बास के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र अ0धा0 96 जा0दी0 एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र अ0धा0 96 जा0दी0 एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किये जाते है। अपील अपीलान्ट के अनुसार मौजा ग्राम तोखा का बास मे भूमि खसरा नम्बर 224 रकबा 0.06 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 225 रकबा 2.39 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत भगीना के ग्राम तोखा का बास की आबादी से लगती सार्वजनिक भूमि है जो राजकीय विघालय तोखा का बास की है तथा उक्त भूमि मे सार्वजनिक कुआं बना हुआ है तथा उक्त भूमि रियासतकाल से ही सार्वजनिक भूमि रही है व ग्रामवासियों के काम मे आती रही है। उक्त भूमि ठिकाना डूण्डलोद के ठाकुर श्री हरनाथ सिंह ने सेठ हरनारायण दास ईश्वरदास काजडिया को सार्वजनिक हित एवं पुण्यार्थ कार्य करने के लिए दी थी तथा कुछ समय बाद सेठ हरनारायण दास ईश्वरदास काजडिया के वारिसान [illegible] प्रसाद काजडिया ने उपरोक्त भूमि लिखित मे राजकीय विघालय तोखा का बास [illegible] दी थी जिसकी देखरेख ग्राम विकास सेवा समिति तोखा का बास [illegible] है तथा उक्त [illegible] मे अपीलान्ट का हित निहित है। उक्त भूमि को हडपने के आशय से [illegible] रजिस्ट्री [illegible] जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरकरण [illegible] डेन्ट द्वारा नामान्तरक[illegible] संख्या 789 दिनांकित 06.01.2022 को मनोज कुमार पुत्र बनारसी लाल, निवासी ग्राम लीखवा जिला झुंझुनूं के नाम दर्ज किया गया जिससे व्यथित होकर उक्त अपील श्रीमान् के समक्ष निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों व खिलाफ कानून होने के कारण दर्ज नामान्तरकरण संख्या 789 मौजा ग्राम तोखा का बास दिनांकित 06.01.2022 निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.10 17:26:16 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम 1956 की पालना मौके पर जाकर नही की तथा सम्पत्ति का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किये बिना ही अपने कार्यालय मे बैठे–बैठे ही अपने कर्तव्य की इतिश्री कर उक्त नामान्तरकरण संख्या 789 रजिस्ट्री के आधार पर दर्ज किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2022 को जो नामान्तरकरण संख्या 789 दर्ज किया वह कानून को ताक मे रखकर गलत तरीके से बिना विधिक प्रकिया अपनाये नामान्तरकरण दर्ज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कब्जे की जानकारी किए ही नामान्तरकरण संख्या 789 दर्ज किया है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 789 विक्रय पत्र दिनांकित 10.04.2013 के आधार पर दिनांक 06.012022 को करीब 9 वर्ष बाद दर्ज किया है जिससे भी जाहिर हो रहा है कि नामान्तरकरण बिना जांच के दर्ज किया है। उक्त विवादित भूमि पर विक्रय पत्र मे उल्लेखित केता का कब्जा नही है तथा कब्जे के अभाव मे नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत ग्राम तोखा का बास के नागरिक व अपीलान्ट को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिये बिना दर्ज किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज नामान्तरकरण संख्या 789 दिनांकित 06.01.2022 वाके ग्राम तोखा का बास निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों व कानून के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की पालना मौके पर जाकर नही की तथा सम्पत्ति का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किये बिना ही अपने कार्यालय मे बैठे–बैठे ही अपने कर्तव्य की इतिश्री कर उक्त नामान्तरकरण संख्या 789 रजिस्ट्री के आधार पर दर्ज किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2022 को जो नामान्तरकरण संख्या 789 दर्ज किया वह कानून को ताक मे रखकर गलत तरीके से बिना विधिक प्रकिया अपनाये नामान्तरकरण दर्ज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कब्जे की जानकारी किए ही नामान्तरकरण संख्या 789 दर्ज किया है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 789 विक्रय पत्र दिनांकित 10.04.2013 के आधार पर दिनांक 06.012022 को करीब 9 वर्ष बाद दर्ज किया है जिससे भी जाहिर हो रहा है कि नामान्तरकरण बिना जांच के दर्ज किया है। उक्त विवादित भूमि पर विक्रय पत्र मे उल्लेखित केता का कब्जा नही है तथा कब्जे के अभाव मे नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत ग्राम तोखा का बास के नागरिक व अपीलान्ट को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिये बिना दर्ज किया गया है। उक्त भूमि का ठिकाना पट्टा बना हुआ है। विवादित भूमि सार्वजनिक हित की भूमि है। उक्त भूमि मे कुआ बना हुआ है। उक्त भूमि पूर्व मे खातेदार रहे काश्तकारों ने स्कूल को दान मे दी है। इस संबंध मे एक इकरारनामा भी दिनांक 16.08.1982 को तस्दीक हुआ है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज नामान्तरकरण संख्या 789 दिनांकित 06.01.2022 वाके ग्राम तोखा का बास निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.10 17:26:16 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपील बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम तोखा का बास के कम मे भरा गया नामान्तरकरण संख्या 789 दिनांकित 06.01.2022 का बेचान होने पर नियमानुसार नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकार किया गया है। विवादित भूमि के संबंध मे किसी न्यायालय का स्थगन भी नही था। अदालत मातहत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण बाद जांच नियमानुसार भरा गया है जिसमे कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम तोखा का बास स्थित भूमि ख0न0 224 रकबा 0.06 हैक्टर एवं ख0न0 224 रकबा 2.45 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.45 हैक्टर का बेचान होने पर नियमानुसार नामान्तरकरण सं0 789 दिनांक 01.06.2022 विकय पत्र के आधार पर बाद जांच स्वीकार किया गया है। जमाबन्दी के अनुसार बेचान की गई भूमि सरकारी व सार्वजनिक नही है। भूमि दान के संबंध मे दान पत्र एवं इकरारनामा भी विधिवत् नही है। अपीलान्ट विवादित भूमि के कम्र मे अपीलान्ट यह सिद्व नही कर पाया कि उसका हित इस भूमि मे किस प्रकार निहित है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की यह अपील सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारीज होने की स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्थगन पर अलग से सुना जाना आवश्यक नही है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 03.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर झुन्झुनूं
जिला कलक्टर, झुझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.10 17:26:16 IST
Reason: SelfAttested